


2142-5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 541358

**Consortium MoU**



THIS CONSORTIUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as the 'MoU') is made and entered into this 9<sup>th</sup> day of the month of October, 2018 by and among:

1. **Aradhyam Builders Partnership Firm** registered under the Partnership Act 1932 through Partner **Ritesh Jain** having their principal place of business at "C/o Mange Ram Bhatta Company, Khasra No. 988 & 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh) which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the ONE PART;
2. **Vijay Kumar S/o Mange Ram R/o R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002** owner of various Khasra Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SECOND PART;

*[Handwritten signatures and fingerprints]*

*[Signature: Ritesh Jain]*

*[Signature: Vijay Kumar]*

*[Signature: Ritesh Jain]*



- 9 OCT 2018

क्र.सं. 18

स्टाम्प क्रेय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

आयुधधाम बिल्डर्स, मेरठ रोड गाजाबाद इमरिंश  
जैन

स्टाम्प की धनराशि 100/-

पंकज शर्मा स्टाम्प विक्रेता, लाइसेन्स नं० 355

लाइसेन्स की अवधि 31-3-2019

नहरौल कम्पाउण्ड गाजियाबाद

अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

प्रतिफल - 0 स्टाम्प शुल्क - 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग 200

श्री आशुधरम बिल्डर्स द्वारा

प्रतिश जैन अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि

पु.सं. नं० केन्द्र जैन

आयुधधाम अन्य

जैन नं० 1 अथवा ऑफ मांगे राम भट्टा कंपनी खसरा नम्बर-988 व 989, एन एच-58,

रोड 158 गाजियाबाद


प्रतिश जैन, बिल्डर्स द्वारा

प्रतिश जैन अधिकृत  
पदाधिकारी/प्रतिनिधि

श्री शंभू लोखण्डे इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2018

दिनांक 10/10/2018 को

अनुबंध हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा नरेश कुमार एसओ

उप निबंधक सदर दफ्तर

गाजियाबाद

10/10/2018

विनीत कुमार निषिध

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

3. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Owner of various Khasras Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the THIRD PART;
4. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fourth PART;
5. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fifth PART;
6. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Trustee of The Trinity Education Trust which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SIXTH PART;

All the above parties for the purpose of this MoU hereinafter individually called the 'Member' and collectively called the 'Members.'

NOW, THEREFORE, this MoU witnesses as follows:-

In consideration of the mutual covenants of the Members, the sufficiency whereof are hereby acknowledged and other good valuable considerations, the Members have agreed as follows:







निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


प्रथम पक्ष: 1

श्री अराध्यम बिल्डिंस के द्वारा रितेश जैन, पुत्र श्री राजेन्द्र जैन

निवासी: केयर ऑफ मांगे राम भट्टा कम्पनी खसरा नम्बर 988 व 989, एन एच 58, मेरठ रोड, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Situl*



प्रथम पक्ष: 2

श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*विजय*

प्रथम पक्ष: 3

श्री सुधन कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-9/202, सेक्टर 9, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*सुधन*

प्रथम पक्ष: 4

श्री राम नरेश रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177 राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*विजय*

प्रथम पक्ष: 5

श्री पुष्पेन्द्र रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*विजय*



## 1. Definitions and interpretations

1.1 Definitions Capitalized terms used in this MoU shall have their respective defined meanings, and/or shall have the meanings specified in the Policy issued vide G.O. No 10/2017/2130/8-1-17-36 vivid/2017 dated 25/10/2017 and subsequently executed Development Agreement between the Applicant and the Authority unless the context expressly or by necessary implication otherwise requires.

- (a) 'Applicant' means the Consortium Applicant;
- (b) 'Authority' means the Uttar Pradesh Housing and Development Board or the Development Authority or the Special Area Development Authority or the Controlling Authority or any other authority designated by the Government of Uttar Pradesh, as the case may be;
- (c) 'Company' means a company formed and registered under the Companies Act, 1956/2013;
- (d) 'Consortium' means the Consortium formed between the Members in accordance with this MoU;
- (e) "Government Agency" means Development Authority constituted under Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 or Uttar Pradesh Housing & Development Board constituted under Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 or Controlling Authority constituted under Uttar Pradesh (Regulation Of Building Operations) Act, 1958 or Special Area Development Authority constituted under Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986.




प्रथम पक्ष: 6

श्री टिरिन्टी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा सुधन कुमार, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: आर-9/202, सैक्टर-9, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*सुधन*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दीपक कुमार, पुत्र श्री ब्रहमपाल

निवासी: तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री ब्रहम सिंह

निवासी: ग्राम दुहाई जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Sul*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

शर्मा नविनकुमार एस०

उप निबंधक - सदर द्वितीय

गाजियाबाद

विजय कुमार सिपिक


कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -

नियमित

- (f) 'Lead Member' means the member of the Consortium who holds minimum 26% equity in the Consortium.
- (g) 'Members' means the individuals, Company or firms which have agreed to form a Consortium in connection with the Project;
- (h) 'MoU' (Memorandum of Understanding) means a legal document describing the terms and details of an agreement between two or more parties, including each party's role and responsibilities.
- (i) 'Net worth' means as defined under section-2 of (29-A) of the Companies Act, 1956/2013;
- (j) 'Private Developer' means an individual, legal person, consortium, registered trust, registered society, cooperative housing society, company or association, body of individuals whether incorporated or not, owning or assembling or agreeing to own or assemble, whether by purchase or otherwise, land for development.
- (k) 'Scheme' means the proposed housing scheme.

## 1.2 Interpretation

- (a) For the purpose of this MoU, where the context so requires, the singular shall be deemed to include the plural and vice-versa and masculine gender shall be deemed to include the feminine gender and vice-versa.
- (b) References to a 'person' if any shall, where the context so admits, include references to natural persons, partnership firms, companies, bodies corporate and associations, whether incorporated or not or any other organization or entity including any governmental or political subdivision, ministry, department or agency thereof.







(c) The headings and sub-headings are inserted for convenience only and shall not affect the construction and interpretation of this MoU.

(d) References to the word 'include' and 'including' shall be construed without limitation.

(e) Any reference to 'day' shall mean a reference to a calendar day.

**2. Purpose of Consortium MoU**

2.1 The purpose of this MoU is to specify the responsibilities of the Members towards the execution of the Scheme including land assembly, preparation of Detailed Project Report, securing of clearances, execution of development and construction works, maintenance of services and management and disposal of properties and to set out further rights and obligations of the Members supplementing but not conflicting with those present in this MoU.

**3. Duration**

3.1 This MoU shall come into force and effect on as of the date of signing of this MoU by the Members. Unless otherwise terminated earlier, this MoU shall remain effective until the complete discharge of all obligations by the Members concerning the completion of the Scheme.





**4. Coordinator**

- 4.1 The Members hereby understand and agree that there shall be a 'Lead Member' who shall be the point of contact for the purpose of the Scheme. It is hereby agreed by the Members that for the purpose of the MoU Aradhyam Builders has been appointed as Lead Member. The Lead Member shall be specifically authorized by the Members to make representations and declarations on their behalf. However, every Member of the Consortium shall be individually responsible for discharging his obligation as specified in Schedule-1 and jointly and severally liable for the successful completion of the entire Scheme.
- 4.2 For the purpose of this MoU, the Lead Member shall be the single point of contact for the Authority and shall have the overall responsibility of the management of the Scheme and shall have single point responsibility for ensuring that all Members of the Consortium are complying with the terms and conditions set out in this MoU.
- 4.3 All instructions/communications from the Authority to the Lead Member shall be deemed to have been duly provided to all the Members of the Consortium.
- 4.4 For the avoidance of doubt it is hereby clarified that the all Members of the Consortium shall be held individually responsible for the obligations mentioned in Schedule-1 regarding their specific roles and responsibilities undertaken by them under this MoU.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is cursive and appears to be 'S. Aradhyam'. The second signature in the middle is also cursive and appears to be 'S. Aradhyam'. The third signature on the right is cursive and appears to be 'S. Aradhyam'. There is a blue circular stamp with text inside, partially obscured by the middle signature.





## **5. Rights and obligations**

- 5.1 For delivery of all Services as per provisions of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority; the Lead Member shall be primarily accountable and responsible.
- 5.2 The Lead Member shall be responsible for the transmission of any documents and information connected with the Scheme to the Members concerned.
- 5.3 The representations and declarations made by the Lead Member shall be legally binding on all the Members of this MoU.
- 5.4 Each Member shall use reasonable efforts to perform and fulfil, promptly, actively and on time, all of its obligations under this MoU.
- 5.5 For the purpose of this MOU Aradhyam Builders, the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.

## **6. Responsibilities towards each other**

### **6.1 (a) Each Member undertake:**

- (i) To promptly notify each of the Members about any significant delay in fulfilment of milestones in relation to the Scheme; and
  - (ii) To inform other Members of relevant communications it receives from third parties in relation to the Scheme.
- (b) Each Member shall act in good faith and use reasonable efforts to ensure time bound compliance of their obligations under this MoU and promptly act to correct any error therein as soon as it came into the knowledge.

The block contains three handwritten signatures or initials in blue ink. The first is a long, flowing signature on the left. The second is a shorter signature in the middle, with some illegible text written above it. The third is a signature on the right, also in blue ink.



(c) Each Member shall keep confidential all information of confidential nature, whether written or oral, concerning to this MoU and also abide by the terms and condition of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority.

(d) Each Member shall share with and disclose information to other Members including confidential information and documents as may be necessary for the Scheme. The Members hereby understand and agree that the information shall be used solely for the purpose of the Scheme and not for its own use or for any third party benefit.

**7. Liabilities**

7.1 Liability towards each other: The Members hereby understand and agree that each Member shall be individually liable for any default with regard to the deliverables of his part under the terms and conditions of this MoU.

7.2 Indemnification of a Member for each other: Each Member shall indemnify each of the other Members, in respect of liability resulting from acts or omissions of itself.

7.3 Liability towards Third Parties: Subject always to such other undertakings and warranties as are provided for in this MoU, each Member shall be solely liable for any loss, damage or injury to third parties resulting from its carrying out its parts of the Scheme and from its use of knowledge and/or knowhow.

**8. Representation and warranties**

8.1 The Members hereby represent and warrant that:

(a) They are duly organized and validly existing under the prevailing laws of India and have full Power and authority to enter into this MoU and to perform their obligations under this MoU.

(b) This MoU constitutes a valid and binding obligation of the Members, enforceable against them in accordance with the terms hereof, and the execution, delivery and performance of this MoU and all instruments or agreements required hereunder do not contravene, violate or constitute a default of or require any consent or notice under







any provision of any agreement or other instrument to which the Member is a party and by which the Members are or may be bound.

(c) Each of the representations and warranties shall be construed as a separate representation, warranty, covenant or undertaking, as the case may be, and shall not be limited by the terms of any other representation or warranty or by any other term of this MoU.

(d) The Members have read, understood and agreed with the terms and conditions of this MoU.

**9. Notices**

9.1 Notices, demands or other communication required or permitted to be given or made under this MoU shall be in writing in Hindi or English language. Delivery can be made by hand or facsimile message against a written confirmation of receipt or by registered letter or by courier subsequently confirmed by letter.

9.2 Any such notice, demand or communication shall, unless the contrary is proved, be deemed to have been duly served at the time of delivery in the case of service by delivery in person or by registered post or courier at the given address.


**10. Arbitration**

10.1 Any and all disputes or differences between the Members arising out of or in connection with this MoU or its performance shall, so far as it is possible, be settled amicably through consultation between the Members.

10.2 Any dispute arising in connection with this MoU which cannot be resolved by the Members in accordance with the terms of this MoU shall be settled by arbitration in accordance with Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Members agree to comply with the awards resulting from arbitration. The place of arbitration shall be Ghaziabad.

**11. Force Majeure**

None of the members shall be held in default in the performance of the obligation, under this MoU, in the events of force majeure which without any limitation include war, civil commotion, riots, Act of God,





Government Action. In the event of force majeure, the members of the Consortium MoU undertake to consult each other.

**12. Termination of Consortium**

MoU This Consortium MoU may be terminated upon the arrival of the first of following events:-

- 12.1 Upon exit from the Scheme subject to terms and conditions of the scheme.
- 12.2 Upon completion of the Scheme.

**13. Miscellaneous**

- 13.1 This MoU supersedes all prior discussions and agreements (whether oral or written, including all correspondence) if any, between the Members with respect to the subject matter of this MoU. In the event of any conflict between the terms of this MoU and the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority, the terms of Development Agreement shall prevail.
- 13.2 Any provision of this MoU, which is invalid or unenforceable, shall be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability, without affecting in any way the remaining provisions hereof.
- 13.3 This MoU shall be governed and interpreted by, and construed in accordance with the laws of India, without giving effect to the principles of conflict of laws there under.
- 13.4 The Schedule-1 shall have the same force and effect as if expressly set in the body of this MoU and any reference to this MoU shall include the Schedule-1.





- 13.5 Any Member including the Lead Member of the Consortium may be changed with the prior approval of Government Agency subject to fulfilment of minimum financial and technical capability of the Consortium.
- 13.6 In case of any change in the members of the Consortium, an amended Consortium MoU shall be submitted by the Lead Member to Government Agency.
- 13.7 Any variation or modification to the terms of this MoU as may be mutually agreed by the members can only be made with prior approval of Government Agency.

IN WITNESS WHEREOF, the Members have entered into this MoU on the day, month and year first mentioned above.

1.

Signature.....

For Aradhyam Builders

Ritesh Jain

Partner

2. Vijay Kumar

Signature.....

3. Sudhan Kumar 

Signature.....

4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramanaresh Rawat

Signature.....





5. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat

Signature.....

6. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust

Signature.....

For and on behalf of Lead Member:

Name: Ritesh Jain.....

Designation: Partner

Aradhyam Builders

Date:09/10/2018

WITNESSES: 1. Signature.....

Name.....*Mr. Deepak Kumar Sr. Brahm Pal*  
Address.....*Takshil Compound - G. Bad.*

2. Signature.....

Name.....*Sunil Kumar Sr. Brahm Singh.*  
Address.....*Vill - Duhai - G. Bad.*

Drafted by :







### SCHEDULE - 1

Roles and Responsibilities of Each Individual Member of the Consortium  
(Describe the Roles and Responsibilities of each individual Member of the Consortium)

Sl.No.	Type of Member	Average Annual Net worth (Rs. Crore)	Roles and Responsibilities
1	2	3	4
1.	Lead Member Name: Aradhyam Builders Address: "C/o Mange Ram Bhatta Company, Khasra No.988& 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh). Phone No: 9999537800		Overall responsibility including planning, obtaining all clearances, approvals, selling, collecting all sales proceeds, construction & overall administration of project. For the purpose of this MOU Aradhyam Builders the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.
2.	Member-1 Vijay Kumar R/O R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No: 9711410000	8.06	Technical and financial consultancy
3.	Member-2 Sudhan Kumar Address: Phone No: 9818488999		Monitoring of Group Housing
4.	Member-3.		Monitoring of Group


  








	Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat Address :R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No 9711410000		Housing
5.	Member-4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Chaudhary Mange Ram Address:R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No: 9711410000		Monitoring of Group Housing
6	Member-5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust Address:	8.06	Monitoring of Group Housing



Signature.....  
For Aradhyam Builders  
Ritesh Jain  
Partner

1. Vijay Kumar  
Signature.....
2. Sudhan Kumar  
Signature.....
3. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramanresh Rawat  
Signature.....
4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of ~~Ramanresh Rawat~~  
Signature.....
5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust  
Signature.....

Date 09/10/2018

1/2  
सही संख्या 4 जिल्द संख्या 594 के पृष्ठ 393 से 432 तक क्रमांक  
10/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

NPJ

शर्मा लविकुमार एस०

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

10/10/2018





सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

6374 Name MANISH KUMAR  
Designation Ex. E.  
Signature  
Stock Holding Corporation of India Ltd.  
1-A/3, Model Town East, Ghaziabad

Certificate No. : IN-UP04962160831980Q  
Certificate Issued Date : 23-Aug-2018 03:51 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0105938813372761Q  
Purchased by : VIJAY KUMAR  
Description of Document : Article 33 Gift  
Property Description : LAND IN PART OF KHASRA NO-493 VILLAGE PASONDA GZB  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : PUSHPENDRA RAWAT  
Second Party : VIJAY KUMAR  
Stamp Duty Paid By : VIJAY KUMAR  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,19,100  
(Four Lakh Ninteen Thousand One Hundred only)

47710  
2018  
Locket



VERIFIED BY  
Sub-Registrar  
Ghaziabad  
CHECKED BY  
Sub-Registrar  
Ghaziabad

.....Please write or type below this line.....

*Signature*

*Signature*

TQ 0001474366



## Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or at any Authorised collection center address displayed at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."





CHIEF TREASURY OFFICER  
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077913

(2)

दानपत्र/उपहार विलेख का संक्षिप्त विवरण

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 1. भूमि का प्रकार                  | : | आवासीय  |
| 2. वार्ड परगना                     | : | 0328  |
| 3. मौहल्ला/ग्राम                   | : | ग्राम पसौण्डा   |
| 4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं०) | : | आवासीय खाली भूमि, सम्बन्धित<br>खसरा नम्बर 493 (पार्ट), स्थित ग्राम पसौण्डा<br>परगना लोनी तहसील व जिला गजियाबाद। |



8/23/2018

पुष्टि विलेख 52

कम संख्या 91.....विक्रय का तारीख 23 AUG 2018  
स्टाम्प का प्रयोजन.....  
स्टाम्प केला का नाम व पूरा पता विजय कुमार जी 0 7 5 7 0 1 0 0  
7209/5  
स्टाम्प की संख्या 51827

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 351

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

द्वितीय क्रम का स्टाम्प

दान पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 479100 बाजारी मूल्य- 6843000 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग: 20080

श्री विजय कुमार,

पुत्र श्री मांगेराम

व्यवसाय: अन्य

निवासी: 2/176 राजनगर गाजियाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/08/2018 एवं 04:44:25 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





CHIEF TREASURY OFFICER  
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077914

CU 077914

(3)

5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर): वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): सड़क 12 मीटर चौड़ी
8. प्रतिफल की धनराशि:— शून्य

*[Handwritten signature]*  
11/08/2019



8/23/2018

पुष्टि विलेख 58,59

23 AUG 2018

9/2/2018  
व्यक्ति का नाम.....  
उपस्थित करने का प्रयोजन.....  
समय और नाम व पूरा पता.....  
स्थान की जानकारी.....

निष्पादन लेखपत्र बोर्ड सुझने के समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार  
सुमित बंसल **उत्तम विक्रेता**

लाइसेंस नम्बर **354** ता: 1

लाइसेंस की अवधि **31** वर्ष

राज्यपाल कार्यालय, श्री सुभाष रावत, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: 2/८१ राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य


दान गृहीता: 1



श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: 2/१७७ राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता : 1

श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एस. तिवारी

निवासी: 2 जनता कॉलोनी गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री ओमपाल, पुत्र श्री चम्पत सिंह

निवासी: ६ गाँधी नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी: गा वि प्रा के पत्र संख्या 316/4/सी ई 2018  
दिनांक 08.08.2018 पर ए आई जी पंजीकृत आदेश  
संख्या 635 दिनांक 10.08.2018 के क्रम में पक्षकारों  
को अवगत कराया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र साहू

उप निबंधक: सदर तृतीय  
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
CHIEF TREASURY OFFICER

(4)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब — सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम — खसरा नम्बर 462 (पार्ट)

उत्तर — खसरा नम्बर 494 (पार्ट)

दक्षिण — खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



23 AUG 2018

कम संख्या 93/91 विक्रेय का ताद.....  
स्टाम्प अथ करने का प्रयोजन.....  
स्टाम्प केरा का नाम व पूरा पता.....  
स्टाम्प की अवधि.....

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 351

लाइसेंस की अवधि 31 माह

लाइसेंस अथवा लाइसेंस







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)


CU 082055

दानकर्ता का विवरण:-

श्री पुष्पेन्द्र रावत पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/81, राजनगर, गाजियाबाद  
(PAN. AGEPR9312A)

दानग्रहिता का विवरण:-

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद  
(PAN. AAZPK0075G)



संख्या १४

22 AUG 2018

स्टाम्प कर करने का प्रयोजन

स्टाम्प कर का नाम व पूरा पता

मि. राजेश कुमार शर्मा

स्टाम्प की धनराशि

5000

Rohit Kumar

रोहिताश कुमार स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 295

न्यायिक की अवधि 31 मार्च

बैच नं 79, इंडस्ट्रियल एरिया, गांधी नगर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

CU 082056

CU 082056

गिफ्ट डीड की मालियत 68,43,000/-

स्टाम्प ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-5, अधिसूचना संख्या--5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30-06-2008 ई० के अनुसार अदा किया जा रहा है ।

स्टाम्प अंकन 4,79,100/- रुपये

*[Handwritten signature]*

स्टाम्प नंबर 84182

23 AUG 2018

स्टाम्प कोट करने का प्रयोजन

स्टाम्प कोट का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धरता

Rohitish Kumar

रोहताश कुमार स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 295

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

ब्लॉक नं० 70, गहरीत बसपार्क, गुरुदासपुर



भारत सरकार







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

CU 082057

CU 082057

गिफ्ट की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण- आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। कलैक्टर द्वारा भूमि की निर्धारित दर 17,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उपरोक्त भवन मुख्य मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



23 AUG 2018

रकम संख्या ५०/१० तिथि  
रकम कट कराने का प्रयोजन  
रकम कटाने का नाम व पूरा पता  
रकम की धनराशि


Rohit Kumar

रोहताश कुमार रकम विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 295

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

बैक नं 70, सहरील जमगावत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

CU 081871

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब - सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम - खसरा नम्बर 462 (पार्ट)

उत्तर - खसरा नम्बर 494 (पार्ट)

दक्षिण - खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

*[Handwritten signature]*

23 AUG 2018

21  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नम्बर 11  
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
सेक्टर नं० 10, नरसिंह कम्पाउन्ड, गाजियाबाद







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

CU 081872

हम कि श्री पुष्पेन्द्र रावत पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/81, राजनगर, गाजियाबाद प्रथम पक्ष  
गिफ्ट/दानकर्ता।

इस दान पत्र में गिफ्ट/दानकर्ता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायाधिक  
प्रतिनिधिगण सम्मिलित समझे जावेंगे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष  
गिफ्ट/दानगृहिता।

*[Handwritten signatures]*

22/7

23 AUG 2018

श्री सज्जना.....  
स्टाम्प लगाने का प्रयोग.....  
स्टाम्प के नाम व पूरा पता.....  
स्टाम्प की धरती.....

पिन

रजकुमार गुप्ता स्टाम्प विवेता  
संज्ञित नम्बर 11  
संज्ञित की अवधि 31 मार्च  
संज्ञित नं 26, संज्ञित कम्पान्ड, गजियाबाद







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081873

(10)

विदित हो कि आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, सम्बन्धित खसरा नम्बर 493(पार्ट), स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद का प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति व संक्रणमीय भूमिधर है। उक्त भूमि आज दिन तक प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य देनदारी लोन आदि आदि से पूर्णतया मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिबे, महायदाबय आदि आदि से ग्रस्त नहीं है। मिलकियत प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ

*[Handwritten signature]*

23/11

23 AUG 2018

कम संख्या.....  
संघर्ष कराने का प्रयोजन.....  
संघर्ष क्षेत्र का नाम व पूरा पता.....  
संघर्ष की धनराशि.....

Rammy

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 11

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

ब्लॉक नं० 26, तहसील कम्पाउन्ड, गाजिपुर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
TREASURY OFFICER

CU 077700

(11)

प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता ने अपनी खुशी व रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों की दिशा में प्यार व स्नेहवश, बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये उपरोक्त भूमि को मये तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हर किस्म मये कब्जा बिना किसी मुआवजे के द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता अपने भाई को गिफ्ट/दान कर दी और बख्श दी और उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है। जिसके द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता पूर्णतः मालिक बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि उपरोक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में

*Handwritten signature and initials.*

23 AUG 2018

सम सख्या 82 तिथि  
स्टाम्प कट करने का प्रयोजन  
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता अनुज कुमार वर्मा गौरी राव 0  
स्टाम्प की धनराशि 500/-

अनुज कुमार वर्मा स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नम्बर 32 अनुज कुमार  
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
तक 26 नवम्बर 2018 गतिमान







उत्तर प्रदेश

(12)

CU 077701

CHIEF TREASURY

लावे, भवन निर्माण करे, स्वयं रहे दूसरों को रखे या बेचे, उपरोक्त भूमि से अब प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और ना कभी भविष्य में होगा। यह गिफ्ट/दान पत्र द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता को भी स्वीकार है भविष्य में उपरोक्त गिफ्ट/दान पत्र के विषय में समस्त आपत्तियाँ असत्य व अमान्य होगी और समस्त आपत्तियों का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता एवं प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारी पर होगा।

अतः यह गिफ्ट/दान पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति !




23 AUG 2018

दिनांक 03/02 तिथि  
स्टाम्प का उपयोग करने का प्रयोजन  
स्टाम्प का नाम व पूरा पता विजय  
स्टाम्प की प्रतिलिपि


अनुज कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नम्बर 32  
लाइसेंस की प्रतिलिपि 31 मार्च  
लाइसेंस की 75 वर्षीय जन्मदिनांक प्रमाणपत्र



**SITE PLAN OF OPEN LAND ON KH. NO.- 493 (PART) SITUATED IN VILLAGE - PASONDA PARG.- LONI TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD (U.P)**



**TOTAL LAND AREA = 402.50 SQ. MT.**




**KEY PLAN**

**FIRST PARTY**

**OTHER LAND**

**KHET OF - VIJAY KUMAR ETC.**



**KHET OF - MANGAYRAM ETC.**

**12.00 MT. WIDE ROAD**

**MANOJ SHARMA**  
Architects, Engineers, Valuers &  
Int. No. 54/95  
ARCHITECTS & ENGINEERS  
CH. NO. 123456789  
PH. : 2760000, MO. : 9871654800



मानचित्र प्रलेख सं  
के साथ प्रस्तुत किया

6374/18

सं०२० (तृतीय)

गांधीवादी

23/8/18







8/23/2018

पुष्टि विनेख 60

दिनांक 04/08 तिथि 23 AUG 2018  
रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रयोजन  
रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम व पूरा पता  
रजिस्ट्रार की धनराशि 5000/-

अनुज कुमार गंग रजिस्ट्रार विक्रेता  
रजिस्ट्रार नम्बर 32  
रजिस्ट्रार की अवधि 31 मार्च  
रजिस्ट्रार के 26 नवम्बर रजिस्ट्रार गाजियाबाद

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13791 के पृष्ठ 129 से 158 तक  
क्रमांक 6374 पर दिनांक 23/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

2380

T-201811280108166

4.10.18






सत्यमेव जयते

6372

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh  
e-Stamp

Certificate No. : IN-UP04962052062956Q  
Certificate Issued Date : 23-Aug-2018 03:37 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0105938904031193Q  
Purchased by : VIJAY KUMAR  
Description of Document : Article 33 Gift  
Property Description : LAND IN PART OF KHASRA NO-493 VILLAGE PASONDA GZB  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : RAM NARESH RAWAT  
Second Party : VIJAY KUMAR  
Stamp Duty Paid By : VIJAY KUMAR  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,19,100  
(Four Lakh Nineteen Thousand One Hundred only)



VERIFIED BY  
Sub-Registrar-III  
Ghaziabad

LOCKED BY  
Sub-Registrar  
Ghaziabad

-----Please write or type below this line-----

Ramul

Signature

TQ 0001474364




## Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or at any Authorised collection center address displayed at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns, and Subtle logo images, Complex ornamental design borders, Anti-copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Open and Closed features."





(2)

दानपत्र/उपहार विलेख का संक्षिप्त विवरण

- |    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार                  | : | आवासीय  |
| 2. | वार्ड परगना                     | : | 0328  |
| 3. | मौहल्ला/ग्राम                   | : | ग्राम पसौण्डा   |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं०) | : | आवासीय खाली भूमि, सम्बन्धित<br>खसरा नम्बर 493 (पार्ट), स्थित ग्राम पसौण्डा<br>परगना लोनी तहसील व जिला गजियाबाद। |

*Ram*

*11/11/11*



8/23/2018

23 AUG 2018

पुष्टि विलेख 52

85  
श्री संख्या.....विक्रय का ता.

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प क्रय का नाम व पूरा पता.....

स्टाम्प की धारणा.....

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 351

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

नियमित क्रयानुद्ध गाजियाबाद

दान पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 479100 बाजारी मूल्य- 6843000 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग : 20080

श्री विजय कुमार,

पुत्र श्री मांगेराम

व्यवसाय : अन्य

निवासी: 2/106 राजनगर गाजियाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/08/2018 एवं 04:40:16 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





(3)

5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर): वर्ग मीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): सड़क 12 मीटर चौड़ी
8. प्रतिफल की धनराशि:- शून्य

Ramch. 11/08/2010



23 AUG 2018 पुष्टि विलेख 58,59

कम संख्या 86/85 विषय का तात्पर्य .....

प्रमाण कय करने का प्रयोजन .....

प्रमाण केता का नाम व पूरा पता .....

प्रमाण की धनराशि 5000 निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार

सुमित बंसल दान दाता: 1

सर्वेस नम्बर 351 श्री रामेश रावत, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी की अवधि 31 माह

निवासी 5/13 बी राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1



श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगेराम

निवासी: 2/13 बी राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एस. तिवारी

निवासी: 2 जनता कॉलोनी गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री ओमपाल, पुत्र श्री चम्पत सिंह

निवासी: 6 गाँधी नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे  
नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी: गा वि प्रा के पत्र संख्या 316/4/सी ई 2018  
दिनांक 08.08.2018 पर ए आई जी पृष्ठीकृत आदेश  
संख्या 635 दिनांक 10.08.2018 के क्रम में पक्षकारों  
को अवगत कराया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र शर्मा

उप निबंधक: सदर तृतीय

गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर तृतीय लिपिक  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077909

(4)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब - सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम - दीगर भूमि

उत्तर - खेत मोंगेराम आदि

दक्षिण - खेत विजय कुमार आदि

Ramul

11/10/71





24 AUG 2018

क्र. संख्या 87/85 विक्रय का तिथि.....  
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....  
स्टाम्प केता का नाम व पूरा पता... विजय  
स्टाम्प की धनराशि 3500/-

सुमित बंसल स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नम्बर 351  
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
राष्ट्रीय स्टाम्प संग्रहालय, नई दिल्ली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

CU 082061

दानकर्ता का विवरण:-

श्री रामनरेश रावत पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 5/126बी, राजनगर, गाजियाबाद  
(PAN. AAGPN8622F)

दानग्रहिता का विवरण:-

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद  
(PAN. AAZPK0075G)

*Ramesh*

*Vijay Kumar*



दिनांक 24 तारीख 23 AUG 2018

आपका पत्र पढ़ने का धन्यवाद

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *श्रीमान श्री. राजेश कुमार राणा*

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *श्रीमान श्री. राजेश कुमार राणा*

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *Rohitish Kumar*

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *सं. 295*

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता*

आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता *आपका पत्र पढ़ने का नाम व पूरा पता*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

CU 082062

गिफ्ट डीड की मालियत 68,43,000/-

स्टाम्प ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-5, अधिसूचना संख्या--5-2756/11-2008-500 (165)/2007 दिनांक 30-06-2008 ई० के अनुसार अदा किया जा रहा है ।

स्टाम्प अंकन 4,79,100/- रुपये

*Remun*

*11/08/08*



नाम सहित 23 AUG 2018  
स्टाम्प लगाने का प्रयोजन  
स्टाम्प केता का नाम व पुरा पता  
स्टाम्प की धनराशि

Rohitash Kumar  
रोहताश कुमार स्टाम्प विक्रेता  
लाइसेंस नम्बर 295  
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
सेक्टर नं० 70, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

CU 082063

गिफ्ट की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण- आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। कलैक्टर द्वारा भूमि की निर्धारित दर 17,000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उपरोक्त भवन मुख्य मार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

Ramach

11/08/18

सदस्य ९६५५

23 AUG 2018

स्टाम्प कर करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

रोहताश कुमार स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 295

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

संख्या नं० 70, सहकारी नगरपालिका, गाजियाबाद







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081865

(8)

सीमा खसरा नम्बर 493 (पार्ट)

पूरब - सड़क 12 मीटर चौड़ी

पश्चिम - दीगर भूमि

उत्तर - खेत मोंगेराम आदि

दक्षिण - खेत विजय कुमार आदि

Ramesh

11/08/2010

123 AUG 2018

कम सज्जा 4.6  
स्टाम्प कय करने का प्रयोजन  
स्टाम्प सेता का नाम व पूरा पता

रक्षा की वनरक्षा

Ranaguna

08 01 2018

no 94

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प विहोता

लाइसेंस नम्बर 11

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च

नम्बर 20, तहसील कम्पल, भाजिद्वारा







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081866

(9)

हम कि श्री रामनरेश रावत पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 5/126बी, राजनगर, गाजियाबाद प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता।

इस दान पत्र में गिफ्ट/दानकर्ता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायायिक प्रतिनिधिगण सम्मिलित समझे जावेंगे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोंगेराम निवासी 2/177, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता।

Ramul

— 11/08/2010 —



123 AUG 2018

क्रम संख्या 47/46  
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन  
स्टाम्प किता का नाम व पूरा पता  
स्टाम्प की समता

Samrath

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प किता  
लाइसेंस नम्बर 11  
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च  
फेब्रुअरी 2020, पंजाब स्टाम्प डिपार्टमेंट, गान्धी नगर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 081867

(10)

विदित हो कि आवासीय खाली भूमि, क्षेत्रफल 402.5 वर्ग मीटर, सम्बन्धित खसरा नम्बर 493(पार्ट), स्थित ग्राम पसौण्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद का प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता सत्ता प्राप्त स्वामी व अधिपति व संक्रणमीय भूमिधर है। उक्त भूमि आज दिन तक प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य देनदारी लोन आदि आदि से पूर्णतया मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय आदि आदि से ग्रस्त नहीं है। मिलकियत प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है। अतः मुझ

*Ram*

*11/08/10*

18/46  
क्रम संख्या.....

स्टाम्प कच करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प क्रमांक का नाम व पूरा पता.....

स्टाम्प की धराराशि.....

राजकुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता

लार्डलैस नम्बर 11

लार्डलैस की अवधि 31 मार्च

क्रमांक नं० 26, लार्डलैस कम्प्यूटर, लार्डलैस







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077694

(11)

प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता ने अपनी खुशी व रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों की दिशा में प्यार व स्नेहवश, बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये उपरोक्त भूमि को मये तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हर किस्म मये कब्जा बिना किसी मुआवजे के द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता अपने भाई को गिफ्ट/दान कर दी और बख्श दी और उपरोक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है। जिसके द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता पूर्णतः मालिक बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि उपरोक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में

Ramch

Yip... 10/10/10

23 AUG 2018

रम संख्या 76

तिथि

राम्य प्राप्त करने का प्रयोजन

राम्य फंता का नाम व पूरा पता

विजय कुमार एस. मॉडल 6

राम्य की धनराशि

अनुज कुमार गार्ग राम्य विज्ञापन

लाइसेंस नम्बर 32

लाइसेंस की अवधि 31 वर्ष

पंजीकृत नं 26







CHIEF TREASURER  
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 077695

(12)

लावे, भवन निर्माण करे, स्वयं रहे दूसरों को रखे या बेचे, उपरोक्त भूमि से अब प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारियों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और ना कभी भविष्य में होगा। यह गिफ्ट/दान पत्र द्वितीय पक्ष गिफ्ट/दानगृहिता को भी स्वीकार है भविष्य में उपरोक्त गिफ्ट/दान पत्र के विषय में समस्त आपत्तियाँ असत्य व अमान्य होगी और समस्त आपत्तियों का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता एवं प्रथम पक्ष गिफ्ट/दानकर्ता के उत्तराधिकारी पर होगा।

अतः यह गिफ्ट/दान पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति !

*Ramach*

*M. D. ...*






क्र. संख्या 776 तिथि 23 AUG 2018

स्टाम्प लगाने का प्रयोजन .....  
स्टाम्प केंद्र का नाम व पूरा पता विजय .....  
स्टाम्प की धनराशि 5000/-

अनुज कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता  
लाईसेंस नम्बर 3231-100-112  
लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 2019 तक




**SITE PLAN OF OPEN LAND ON KH. NO.- 493 (PART) SITUATED IN VILLAGE - PASONDA PARG.- LONI TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD (U.P)**



**TOTAL LAND AREA = 402.50 SQ. MT.**

**KH . NO - 462 (PART)**



**KEY PLAN**

**KH . NO - 493 (PART)**

**SITE  
KH. NO.- 493 (PART)**

**KH . NO - 494 (PART)**

**12.00 MT. WIDE ROAD**

**FIRST PARTY**

*Ramul*

*Signature*

**MANOJ SHARMA**

Architect, Planners, Valuers &

Int. No. 54/95

ARCHITECTS & ENGINEERS

CH. E. NO. 54/95, GZB,





CU 077696

( 13 )

Ramulth  
(प्रथम पक्ष / दानकर्ता)

(द्वितीय पक्ष / दानगृहिता)

गवाह-1

१५६-१  
 राम  
 अनेरममद तिवारी काठमांडौ येरुम तिवारी  
 ३२ जनवरी काठमांडौ अनेरममद वरुणा  
 १५६२१०५५

गवाह-2

43  
 10/10/10  
 10/10/10  
 6/10/10

दिनांक 23-08-2018 ई० मसौदा बुध प्रकाश शर्मा दस्तावेज लेखक,  
नितिन कुमार एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-21,

नटसमिल कल्याणरुच्य राजियाबाद ।

8/23/2018

सम संख्या ७८/७६

23 AUG 2018

पुष्टि विलेख 60

तिथि

स्टाम्प कर करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

अनुज कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 32 31-8-2018

लाइसेंस की अवधि 31 वर्ष

मोटर नं 26

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13791 के पृष्ठ 69 से 98 तक  
क्रमांक 6372 पर दिनांक 23/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

23/08/2018

2380  
T-2018/1280108/65  
4/10/18





20-2-2004



विस्वा पुख्ता लगानी 8.40 पैसे सालाना स्थित ग्राम पत्तोन्डा परगना

[illegible]



932 2000

कमरामगरे सा 5/044

सि 61

1 JUL 195

संस्थान दिने

कै 11/0 25200h

पवि. पुल्क..... प्रवि.लि.पि. पुल्क..... योग 2871  
251-00 0.00 2871-00 400

श्रीमती राज दुलारी 1/0 अशापाल एवं  
पुत्री श्रीमती राज दुलारी अशकाव  
निवासी मिर्जापुर

इ कार्डिनल सबरविम

2/7/05

2-7-05

1/2/05

संस्थान का सम्पादन एवं इसमें निवे

अरे बरल मुं 25-2-00

निवे से पेशगी

संस्थान का सम्पादन

श्रीमती राज दुलारी ने लीकार किया

संस्थान श्री अरे बरल मुं  
पेशगी  
निवासी 25-2-00

संस्थान का सम्पादन  
पेशगी  
निवासी 25-2-00

Ray 1/2/05

संस्थान का सम्पादन  
पेशगी  
निवासी 25-2-00





-2-

लोनी तहसील व जिला गजियाबाद की मुकिया सत्ता प्राप्त स्वामिनी व अधिपति व भूमिधर हैं, जो आज दिन तक मेरी ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारी आदि से मुक्त हैं, कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय आदि में ग्रास्त नहीं हैं, मिलकियत मुझ विक्रेत्री में कोई दोष व कूटि नहीं हैं, विक्रय करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। अतः मैंने अपनी खुशी व रजामन्दी से उक्त भूमि को मये तमामी हकूक मालकान दाखली व खारजी हर कितम बमये कबजा आदि आदि को आज की तारीख में बदले अंकन 25,200/- रुपये पच्चीस हजार दो सौ रुपये आये जिसके 12600/- रुपये होते हैं मैं साथ श्री राम नरेश व विजय कुमार व सुदनकुमार व पुष्पेन्दर पुत्रगण श्री मां। राम निवासी ग्राम सिकन्दर पुर परगना लोनी तहसील व जिला गजियाबाद के बय कतई कर दी ओर बेच दी ओर कुल धनराशी क्रेतागण से पेशगी वसूल पा ली। अब इकरार यह है



75 Rs.



-3-

कि विक्रय भूमि की मिलकियत व उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से मेरा

व मेरे वारसान का कोई सम्बंध बाकी नहीं रहा है न कभी होगा।

कबजा मौके पर खरीदारान का वास्तविक रूप से करा दिया है, जिसके

वो पूर्णतः स्वामी बन गये हैं, उनको सर्वथा अधिकार है कि जिस प्रकार

चाहे बहिस्त्रित मालकाना प्रयोग में लावें। राजपत्रों में क्रेतागण का नाम

Mr. Kalyanlal





म  
75 रु. 75 रु.

-4-

दर्ज करा दूंगी। वरना वो स्वयं दर्ज करालें। यदि मेरे अनाधिकार से

या मेरे वारसान की दावेदारी आदि से विक्रय भूमि खरीदारान के

कब्जे से निकल जावेगी तो क्रेतागण को अधिकार होगा कि कब्जे से निकल

जाने वाली भूमि की धनराशि को मये सूद कानुनी न्यायालय द्वारा मेरी

व मेरे वारसान की चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करलें।

30 Rs.



-5-

बाजारी कीमत यही हैं आत पात भाव 5000/-रूपये प्रति बीघा खाम  
हैं । अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम  
आवें इति।

दिनांक 2.7.85 ई० मसौदा राकेशदत्त कोशिक वतीके नवीन गाजियाबा  
टाइपकिया

॥ घनश्याम शर्मा ॥



248 राजस्थान U.P.T.C. मंत्रालय

934 934

30/

1 JUL 1985

01/2 85

बही नं / जिल्द 3468 के पृष्ठ 257 में नम्बर 4995

पर आज दिनांक 6/8/85 को

मुख्य सचिव राजस्थान



1060  
317/06

18

20